

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 38 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुशील भेंगरा

- विक्रेता

उषा रानी हेमरोम

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

17.06.19

## आदेश

आवेदक सुशील भेंगरा पिता स्व० स्तनिसलास भेंगरा ग्राम-पिड़ीटोली, खूँटी, थाना खूँटी जिला खूँटी ने उषा रानी हेमरोम पति रॉबिन हेमरोम ग्राम-पिड़ीटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
महुवाटोली	85	07	308	0.06


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1515245950 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 409 दिनांक 29.05.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं०- 780/768 दिनांक 09.12.1986 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम कोंटे पाहन वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार स्तनिसलास भेंगरा के नाम भूमि का रकबा 0.49 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.24½ एकड़ भूमि के आलावा अन्य मौजा रोड़ो खाता सं० 92 का रकबा 2.40 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.64½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 59363.00(उनसठ हजार तीन सौ तिरीसठ)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.58½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुशील भेंगरा पिता स्व० स्तनिसलास भेंगरा को उषा रानी हेमरोम पति रॉबिन हेमरोम के साथ ग्राम महुवाटोली के खाता सं० 07 खेसरा संख्या 308 कुल रकबा 0.06 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 59363.00(उनसठ हजार तीन सौ तिरीसठ)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।